

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

आदिवासी खान ठाकुर विपक्षी चन्दन
 मुकदमा 53 25/25 पत्रावली संख्या 194/25 सन

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
-----------------	---

21/4/25 पत्रावली पेश हुई दिनांक 20/4/25 को
 आवकाश होने से माफ पेश हुई पत्रावली
 वास्तु तलव दिनांक 23/6/25 को पेश हो

23/4/25
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।
 उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
 बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
 स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
 भ्रमण/मीटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व
 के क्रम में दिनांक 28/7/25 को पेश हो।

28/7/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप तलव
 के लिये मौका चाहते है। अतः 28/7/25
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 25/8/25
 को पेश हो।
 (SDO) मावली

25/8/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।
 उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
 बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
 स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
 भ्रमण/मीटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश
 के क्रम में दिनांक 27/10/25 को पेश हो।

27/10/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप तलव
 के लिये मौका चाहते है। अतः 27/10/25
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 27/11/25
 को पेश हो।
 (SDO) मावली

T. P. Ad.

05/01/26

बहुलाब वादी/प्रतिवादी उप

तलवी

के लिये नोक चढ़ते हैं। अतः

जाति

अवकाश दिनांक पत्रावली दि

20/01/26

ओपेनालो।

(SDO) मावली

20/1/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।

उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का

बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य

स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/

अनुरोध/मीटिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश

के क्रम में दिनांक 14/5/26 को पेश हो।

14/5/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उप।

अधिवक्ता वादी द्वारा तलवी का

नोक चढ़ाया। पत्रावली वादी

तलवी दिनांक 27/5/26 को पेश हो।

27/05/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी

मध्य स्वयं वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी

मध्य स्वयं वादी को बार-बार आवामे विलवाई

गई। समय साँय 6:00 PM हो चुके हैं। स्वयं

वादी एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित

हैं। अतः अधिवक्ता वादी मध्य स्वयं वादी

अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम हामरी

अदम पेंचवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली

कैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली